संविधान मे मानव अधिकार

नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण
पोष्टा शृङ्खला
३

संवैधानिक संवाद केन्द्र
CENTRE FOR CONSTITUTIONAL DIALOGUE

संवैधानिक संवाद केन्द्र

प्रकाशक

संवैधानिक संवाद केन्द्र

पैहैन्का संस्करण : २०६५ साल

प्रतिलिपि अधिकार © संवैधानिक संवाद केन्द्र सर्वाधिकार सुरक्षित छै। सामग्रीके स्रोत के रूपमे संवैधानिक संवाद केन्द्रप्रति साभार व्यक्त कैरके गैरव्यवसायिक प्रयोजनके लेल यी पुस्तिकाके अंश सब पुनः प्रकाशन और / या उल्था कैर सकैछै। तेहेन पुनः प्रकाशन और / या उल्था के एक प्रति संवैधानिक संवाद केन्द्रके उपलब्ध कराइले परतै।

सिंगारपेटार या छपाइ

प्रिन्ट प्वाइन्ट पब्लिसिङ, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं।

थप जानकारी या यै पुस्तिकाके लेल तरमे लिखल ठाममे सम्पर्क राखिहे :

संवैधानिक संवाद केन्द्र

तेसर तल्ला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं।

टेलिफोन नं. : ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८

ई-मेल : info@ccd.org.np

वेबसाइट : www.ccd.org.np

संविधान मे मानव अधिकार

शृङ्खला ३

संविधान मे मानव अधिकार १
मानव अधिकार सबकोइ के लेल १
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सन्दर्भ २
नेपाल मे मानव अधिकार ४
संविधान सभा मे विचार करै वला सम्भावित मुद्दा सब ६

संविधान मे मानव अधिकार

मानव अधिकार सघकोइ के लेल

आदमी के राष्ट्रियता कतौके भेला पर भी, ऊ जै जगहके बासिन्दा भेला पर भी और ओकर राष्ट्रियता और जातीय उत्पत्ति, लिङ्ग, वरण, धरम, भाषा अथवा और परिचय जे भेलापर भी मानव अधिकार के हकदार चियै । मानव अधिकार के विश्वव्यापी घोषणाके धारा १ बमोजिम आदमी जन्मै छै त स्वतन्त्र रहै छै, मर्यादा और अधिकारके दृष्टिकोण से सैब आदमी बराबैर है छै । यी सैब अधिकार अन्तर सम्बन्धित, अन्तर्निभर और अविभाज्य छै । विश्वव्यापी मानव अधिकारसन्धि, परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के सामान्य सिद्धान्त सब और अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के अन्य स्रोतके रुप मे बोलल और प्रत्याभूत करल गेल छै । आदमी और समूहके आधारभूत स्वतन्त्रता और मानव अधिकार संरक्षण और प्रबर्द्धन करैले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि कानुन सरकारके निश्चित ढंग से काम करैले या कोनो काम करैले रोक्ने रहै छै ।[१] ओहनो देशके संविधान मे मानव अधिकार या मौलिक अधिकार और स्वतन्त्रता सम्बन्धि भाग मे समावेश करने रहै छै ।

मानव अधिकार अहरणीय है छै । मानव अधिकार राज्य द्वारा(से) दै वला चिज नै चियै और सरकार के तरफ से उलङ्घन नै करल ज्या सकै छै ने मनमाना ढंग से हरण कैर सकै छै । विशेष और असाधारण अवस्था या अत्यावश्यकता और अनुपातिकता के सीमा भितर बहौत रुप मे रहै के बाहेक सरकार के यकरा दावैले(चापैले) नै है छै । उदाहरणके लेल (जनङ कि) अदालत के कोनो आदमी के अपराध करने छै कैह के ठहर करलाके वाद ऊ आदमी के स्वतन्त्रता सम्बन्धि अधिकार मे पाबन्दी लग्याल ज्या सकै छै ।

मानव अधिकार मे लोक के नागरिक (व्यक्तिगत स्वतन्त्रता), राजनीतिक (जम्मा है के, संघ संस्था खोलै के, चुनाव करै के और चुनाव मे भाग लै के अधिकार), आर्थिक (खाइवला और बास सम्बन्धि अधिकार), सामाजिक - (शिक्षा, स्वास्थ्य) और सांस्कृतिक (भाषा, संस्कृति, परम्परागत रीति रिवाज) अधिकार लगायत विकास (प्राकृतिक श्रोत मे पहुँच, विकास और वैज्ञानिक आविष्कार के फाइदा सवके ऐके रङसे वितरण और उपयोग), वातावरण (शुद्ध वातावरण और पर्यावरण) एवं शान्ति (हिंसा और द्वन्द्व से स्वतन्त्रता) सम्बन्धि अधिकार सब परैछै ।

---

१ थप जानकारीके लेल http://ohchr.org/EN/Issues/WhateverHumanRights.aspx देखव ।

'मौलिक अधिकार' कैहके व्यवस्था करल गेल अधिकार के अरथ कोनो देशके संविधान मे ओइ देशके नागरिक सब के लेल तय करल गेल अधिकार चियै कैहके बुझै छै। लेकिन यकर अरथ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमे मान्य और बाध्यकारी मानव अधिकार के सीमित नै करनाई चियै।

कतहेक मानव अधिकार राज्य विरुद्ध के व्यक्तिगत अधिकार कैह के तर्जुमा करल गेल रहै छै। ऐहेन अधिकार सबके उलङघन के सामना करैले वहेन अधिकार सबसे उपचारके प्रावधान भी है के चाही। ऐहेन हक अधिकार मे जियैले पावै वला-अधिकार) और भौतिक अस्तित्व के अधिकार, कानुनी समानता और व्यक्तिगत वाक या अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता इत्यादी परै छै। सामान्य परिस्थितिमे राज्य से व्यक्तिगत मामिला मे हस्तक्षेप नै करल गेलाके खण्डमे ऐहेन अधिकार सब पूर्ण रुप से उपभोग कैर सकै छै। राज्य से स्वेच्छाचारी ढंग से व्यक्तिगत मामिला मे हस्तक्षेप करैले नै पावै छै। गैर राज्य पक्ष से आपन अधिकार क्षेत्र भितर परैवलो नागरिक के मानव अधिकार के हनन नै हेवे दैके लेल संरक्षण प्रदान करै के राज्य के उत्तरदायित्व चियै। ऐहेन अधिकार के दोसर अरथ मे अपन नागरिक के चौतर्फी विकास के लेल काम करनाई भी राज्य के जिम्मेवारी मे परै छै कहनाई चियै। ऐहेन जिम्मेवारी मे सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगारीके अधिकार इत्यादी परै छै। येहेन अधिकार सब पूर्व सक्रियता, संगठित और स्थिर ढंग से सुनिश्चित करलाके वाद मात्र आदमी सब राज्य के विरुद्ध स्वतन्त्रतापूर्वक अपन अधिकार सब उपभोग कैर सकै छै।

सारभूत मानव अधिकार सब के सूचिकृत करतै त संविधान प्रायः प्रकृयागत और संस्थागत प्रावधान सब भी समावेश करै छै, जै से सारभूत अधिकार के प्रावधान सब कार्यान्वयन करैले सहयोग पुगावै छै। तै दुवारे संविधान सब से न्यायीक उपचार के प्रणाली वारे मे भविष्यदर्शी भ्या के मानव अधिकार संरक्षण और प्रबर्द्धन के लेल राज्य के जिम्मेवारी तय करनाई के साथ मानव अधिकार सम्बन्धि स्वतन्त्र संस्था सब के स्थापना करै छै। अन्य प्रावधान सब मानव अधिकार सङे सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सब के राष्ट्रिय कानुन मे समावेश करनाई, ऊ सब के कार्यान्वयन और ऊ सब से परैवला प्रत्यक्ष प्रभाव इत्यादी सङे जोरल रैह सकै छै।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सन्दर्भ

संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारण सभा से डिसेम्बर १०, १९४८ मे ग्रहण करल गेल मानव अधिकार के विश्वव्यापी घोषणा पत्र और अन्य दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सब - नागरिक और राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक

अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि-के अखैन मानव अधिकारके "अन्तर्राष्ट्रिय संविधान" के रुपमे लेने छै। ६० बरिष से बेसी के समयावधि मे मानव अधिकार सम्बन्धि बहौते सन्धि सब, सम्झौता सब और घोषणा सब करने छै, जै मे बचा अधिकार, जनिजाइत अधिकार, यातना विरोध के अधिकार, रङ्गभेद और जातीय भेदभाव विरोध के अधिकार, आदिवासी, जनजाति और अल्पसंख्यक सब के अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकार, शरनार्थी और आन्तरिक ढंग से विस्थापित आदमी सब या आदमी सब के समूह के अधिकार इत्यादी परै छै।

यी सन्धि सब मध्ये नेपाल २० टा से बेसी महत्वपूर्ण सन्धि सब मे हस्ताक्षर और वै सब के अनुमोदन कैर चुकल छै। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन से निर्धारण करल गेल दायित्व सब के पालना करै ले पक्ष राष्ट्र सब बाध्यकारी है छै। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सब के पक्ष राष्ट्र भेला के वाद अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत मानव अधिकार के सम्मान, संरक्षण और परिपूर्ति करनाई सम्बन्धित राष्ट्र सब के दायित्व और कर्तव्य बनै छै। येहेन दायित्व सब के सम्मान करै के अर्थ पक्ष राष्ट्र सब के मानव अधिकार के उपभोग मे कटौती या हस्तक्षेप करै बला काम से रोकनाई चियै। संरक्षण करै के दायित्व के अर्थ पक्ष राष्ट्र सब आदमी या समूह सब उपर मानव अधिकार उलङ्घन है से रोक्नाई संरक्षण प्रदान करै ले परै छै। परिपूर्ति के दायित्व के मतलव पक्ष राष्ट्र सब के आधारभूत मानव अधिकार के उपभोग के लेल सहज करै ले सकारात्मक कदम सब बढ्हाईनाई चियै। [२]

आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धि महासन्धि (नं.१६९), १९८९ अनुमोदन करै वला १९ टा देश सब मध्ये नेपाल एकटा चियै। यी महासन्धि से जमिन के अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधन मे पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसायिक तालिम, रोजगारी के अवस्था लगायत सीमापार सम्बन्ध जखा विस्तृत विषय सब समेटै छै। यै महासन्धि के मौलिक सिद्धान्त आदिवासी और जनजाति सब के साथ सरोकार राखै ले सैब तह के निर्णय प्रकृया मे वै सब के पूर्ण सहभागिता के साथ ओकर सम्बन्ध मे परामर्श लैले परत कहनाई चियै। आदिवासी और जनजाति सबके अधिकार सम्बन्धी कानुनी रुप मे एकेटा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र के लेल जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायके रुप मे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन। (आइ एल ओ) के यै सन्दर्भ मे महत्वपूर्ण भूमिका रहै छै।

नेपाल मे सन्धि ऐन २०४७ (सन १९९१) के दफा ९ अनुसार अनुमोदित सब सन्धि नेपाल के कानुन बनै छै। वै बाहेक, सन्धि सब मे हस्ताक्षर करला के बाद नेपाल सरकार वै सन्धि सब मे

---

२ OHCHR

भेलहा प्रावधान अनुसार कानुन बनाइनाई, विद्यमान कानुन मे भेलहा फरक या नै मिलै वला प्रावधान सब के परिवर्तन करनाई, वै सब के पालन करनाई, उलङ्घन भेला के बाद उपचार के व्यवस्था करनाई और वै सब के पूर्ण पालना के लेल आवश्यक शिक्षा आ तालिम के लेल बजेट के फाँट बाँट (विनियोजन) करनाई इत्यादी काम सब करै ले परै छै। यै सन्दर्भ मे मानव अधिकार के आधार मे आगु जाइ के लेल नेपाल मे बौहते कानुनी आधार सब छै।

नेपाल मे मानव अधिकार

नेपाल के संविधान मे मानव अधिकार के मौलिक अधिकार के रुप मे व्यवस्था कैने छै। नेपाल बहुते अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि संयन्त्र सब मे सहमति जनाइने छै। साथ साथे अखुन्का और पहौलका संविधान सब मे मानव अधिकार सम्बन्धि विस्तार सूचि भी निर्धारण करने छै। मानव अधिकार सम्बन्धि प्रावधान सब मे नेपाल के अन्तरिम संविधान २०६३ (२००७) के आइ तक नेपाल मे जारी संविधान सब मे से वेसी प्रगतिशिल संविधान के रुप मे लेने छै।

नेपाल के इतिहास मे देश मे भेलहा बहौत राजनीतिक घटनाक्रम के साथ मानव अधिकार सम्बन्धि अवधारणा सब सामने मे येल छै। सामान्यत : बि.सं.२००७ (सन् १९५०) से पैहले हिन्दु राज के मूल्य और मान्यता सब आ राज संस्था देश के बहु संख्यक जनता प्रति विभेदपूर्ण छेलै। नेपाली समाज मे औपचरिक रुप मे हिन्दु वर्ण व्यवस्था रहल छेलै। तकर प्रभाव अखैनियो तक महशुस कैर सकै छै। अखैनियो वेहेन विरासत नेपाल के सामाजिक प्रणाली मे बहुतो आदिवासी, जनजाति और दलित जनता के लेल मानव अधिकार या समानता के सन्दर्भ मे व्यवधान के रुप मे रैह ऐल छै। साथे महिला सब के अवस्था भी वैहनङे विरासत के परम्परा से प्रभावित भ्याल छै, जै से ऊ सब (सैव) दिन जखा सशक्तिकरण है से वञ्चित भ्या के सीमान्तीकृत या वहिष्करण मे परल छै। यद्यपि वि.सं.१९१० (सन १८५४) के मुलुकी ऐन जातीयता मे आधारित सजाय व्यवस्था मे कनहिक सुधार करला के बाद भी प्रचलन मे कानुनी वैधानिकता प्रदान कैरके जातीय या तहगत परम्परा के और मजबुत वनाइल कै। यैहनङे नेपाली जनताके समानताके अधिकार के साथे मानव अधिकारके अभ्यास करै से बहुत समय तक बञ्चित कैल कै। मौलिक अधिकार सबके सन्दर्भ मे समावेश भेलहा कानुनी या संवैधानिक प्रावधान सब के अनुसार करैत नेपाल अधिराज के संविधान २०१५ (सन १९५९) मौलिक अधिकार सब के उलङ्घन मे सर्वोच्च अदालत मे रिट दै के संवैधानिक उपचार कैल कै। वि.सं.२०१९ सन (१९६२) के संविधान मे भी व्यक्तिगत अधिकार सम्बन्धि प्रावधान सब के कायम राखल कै लेकिन यै से तत्कालिन निर्दलीय राजनीतिक व्यवस्था विरुद्ध कोनो भी काम और राजनीतिक स्वतन्त्रता मे

प्रतिबन्ध लगेला के वाद वै अवधि मे ओहेन व्यक्तिगत अधिकार सब निस्क्रिय रहलै । मुलुकी ऐन २०२० (सन १९६३) के संशोधन मानव अधिकार के दृष्टिकोण से एकटा महत्वपूर्ण कदम के रुप मे लेने छै। यी ऐन परम्परागत जातीय व्यवस्था के खारेज कैलकै और छुवाछुत तथा जातीय तहगत परम्परा के उन्मुलन करै के साथ साथ अमानवीय सजाय के व्यवस्था मे रोक लग्या के जातजाति के आधार मे दै वला भेदभाव के अन्त्य करैके प्रयत्न भी कैलकै ।

नेपाल अधिराज्य के संविधान २०४७ (सन १९९०) से सार्वभौम अधिकार नेपाली जनता मे निहित रहै के व्यवस्था कैरके व्यक्तिगत अधिकार के क्षेत्र व्यापकता प्रदान कैलकै । तैहनडे मृत्य दण्ड के अन्त्य, सूचना के हक, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार सब, मौलिक हक उलङ्घन विरुद्ध के साथ सार्वजनिक सरोकारके मुद्दा सब सम्बन्धी सर्वोच्च अदालत मे रिट दै के व्यवस्था सब विशेष महत्व के रुप मे लै छै। संविधान के भाग ३ मौलिक हक मे लिखलहा मानव अधिकार सम्बन्धि प्रावधान सम्बन्धमे नेपाल के अन्तरिम संविधान २०६३ (२००७) आइ तक नेपाल मे जारी संविधान सब मे सब से प्रगतिशील संविधान के रुप मे लेने छै।

यै संविधान के धारा १२,१३,१६,२४,२५,२६,२९ और ३१ नागरिक अधिकार सब (जियै के अधिकार, मर्यादा, बरबैर और स्वतन्त्रता इत्यादी) लगायत विभिन्न व्यक्तिगत स्वतन्त्रता संगे सम्बन्धित छै धारा १२, १५, २७ और २८ राजनीतिक अधिकार सब । संगठित है ले पावै के अधिकार, अभिव्यक्ति तथा विचार आदान प्रदान करै के पावै वला अधिकार, शासन व्यवस्था मे सहभागी है ले पावै के अधिकार, धारा १२,१३,१८,१९,२९ और ३० मे आर्थिक अधिकार सब

(उचित रोजगार के अवसर सम्बन्धि अधिकार, भुख से मुक्ति, जिवन यापन के लेल काम करै के अधिकार, आपन पेशा छानै के अधिकार इत्यादी) धारा १२,१४,१६,१७ और १८ मे सामाजिक अधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षाके अधिकार, दवाई उपचार के सुविधा, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा, बचा बचि सब के सुरक्षा इत्यादी) और धारा २३ सांस्कृतिक अधिकार (दोसर के भावना और आत्म सम्मान मे ठेस नै पुगावैत धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत अभ्यास मे सहभागी है ले पावै के अधिकार) आदि के व्यवस्था करने छै।

अन्तरिम संविधान के मानव अधिकार सम्बन्धि प्रावधान लगायत अन्तरिम संविधान सङे बाझै वला कानुन लागू या कार्यान्वयन नै है के लेल "प्रभावहीन" घोषित कर ने छै। अन्तरिम संविधान के धारा १६४(२)

अन्तरिम संविधान के यै भाग मे प्रदान करल गेल अधिकार सब कार्यान्वयन करै के सन्दर्भ मे सर्वोच्च अदालत मे रिट करै के लेल महत्वपूर्ण अधिकार प्रत्याभूत करने छै। (धारा ३२ और १०७)

नेपाल के राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्वतन्त्र और स्वायत्त संवैधानिक निकाय चियै । वि.सं.२०५७ (सन २०००) मे मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ (१९९७) अर्न्तगत संवैधानिक कानुनी निकाय के रुप मे यकर स्थापना भेल छै। नेपालके अन्तरिम संविधान २०६३ (२००७) के राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग के संवैधानिक निकाय के रुप मे स्थापित कैलकै -भाग १५) देश के संवैधानिक कानुन प्रणाली मे यकर अलगे जिम्मेवारी के क्षेत्र सब छै। यी जिम्मेवारी सब के न्याय सम्पादन सम्बन्धि सामान्य संयन्त्र, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, साथे विद्यमान अन्य कार्यपालिकी, अर्धन्यायिक या न्यायिक निकाय सब के जिम्मेवारी सम्पन्न करै के पुरक के रुप मे सहयोग करतै ।[३]

नेपाल मे आधारभूत मानव अधिकार के सुनिश्चित करै ले बहुते मूल्य मान्यता, निकाय और कार्यविधि सब स्थापित करने छै। लेकिन यकर व्यवहारिक कार्यान्वयन और नेपाली जनता द्वारा यी अधिकार सबके प्रभावकारी उपभोग स्थायी चुनौती के रुप मे रैह एलछै। हाल देखापरल थप लबका चुनौती सब मे मानव अधिकार के क्षेत्र विस्तार करैले और सैब प्रकार के मानव अधिकार सब के प्रत्याभूति के लेल वेहेन अधिकार सब के संस्थागत करै के आवश्यक्ता पैर सकै छै।

मानव अधिकार अन्य कानुन और प्रशासनिक नियमावली सब से प्रभावित भ्या सकै छै । तै मध्ये संविधान मे भ्याल अखुनका मानव अधिकार सम्बन्धि प्रावधान सब निरन्तर रुप मे बाझल गेल छै।

संविधान सभा मे विचार कटै वला सम्भावित मुद्दा सब

उपर मे उल्लेख करल जखा नेपाल मे मानव अधिकार सम्बन्धि कानुन सब मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के छै। प्रभावकारी संरक्षण आ उपचार के प्रावधान सब संविधान आ अन्य कानुनी श्रोत सब मे रहल छै। कहै के अर्थ मानव अधिकार के कानुनी संवैधानिक संरक्षण मे थप सुधार नै भ्या सकै छै नै चियै । और नेपाल मे मानव अधिकार के अवस्था मे व्यवहार मे सुधार करै वला बहौत ठाम सब रहल छै। तै दुवारे मानव अधिकार के सक्षम प्रभावकारी रुप मे वृद्धि करै के संवैधानिक प्रावधान सब के परिस्कृत कैर के वकर विस्तार कैर के व्यवहार मे मानव अधिकार के उत्तम मापदण्ड हासिल करै वला एकटा अपर्याप्त उपाय के मात्रे प्रतिनिधित्व कैर सकै छै कैह के ठेकान करैले परतै ।

---

३ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल

नेपालके अखुनका संवैधानिक और कानुनी संरचना मे प्रकृयागत पक्षके साथ मानव अधिकार और कानुनी संरचना मे प्रकृयागत पक्ष के साथ मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता के विस्तृत सूची समावेश भेला पर भी यी सहभागितामूलक प्रकृया मार्फत लवका संविधान के खरौट तयार करैत यी प्रावधान सब के पुनरावलोकन करैके दोसर अवसर प्रदान करै छै। सम्भवतः यी सिर्जना भेलहा कमि के पूर्ति करै छै और मानव अधिकार के संरक्षण के लेल जिम्मेवार निकाय आ संस्था सब के पर्याप्त अधिकार सम्पन्न बनाबै छै। और नेपाल के संघीय राज्य मे पुनः संरचना करै के अपेक्षित रुपान्तरण से संघीय एकाइ सब द्वारा वनावै वला भावी कानुन सब उपर संघीय मानव अधिकार के कानुन के सर्वोच्चता से सम्बन्धित बौहते प्रश्न सब खरा कैर सकै छै।

१. संविधान सभा के अखैन्का संविधान के भाग ३ मे राखल सामाजिक और आर्थिक अधिकार के न्यायिक रुपमे कार्यान्वयन करै ले वै सब के वेहेन प्रकार के प्रभाव और संरक्षण प्रदान करैत संविधान के "मौलिक हक के भाग मे राखै के लेल ध्यान देतै कैह के सुझाव देने छै। अखैन अन्तरिम संविधान के भाग ४ राज्य के दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त या नीति सब" संङे सम्बन्धित छै। यी नेपाली जनता के बहुते मांग सब (यी मध्ये अर्थात यै मे से बौहते सामाजिक और आर्थिक प्रकृति के रहल छै।) संङे सरोकार राखै छै और संविधान सभा से भी यी चुनौती सब के सामना करै के सम्भावना छै।

२. मौलिक हक सब के और सुदृढ करै के लेल विचार करतै, उदाहरण के लेल नेपाल के अन्तरिम संविधान २०६३ से सुनिश्चित करल छुवाछुत विरुद्ध के अधिकार अर्न्तगत मानव अधिकार संङे सम्बन्धित क्षतिपूर्ति दै बला बात सब के सम्बन्ध मे कानुन निर्माण कैर के कार्यान्वयन करै के समय सीमा तय करै के विषय।

३. दलित, विपन्न, गरिब, किसान या मजदुर और महिला जखा आर्थिक, सामाजिक आ शैक्षिक रुपमे पछा पारल गेल समुदाय सब के अधिकार सब हनन भेल और राज्य के संरचना सब मे समानुपातिक समावेशीकरण के सिद्धान्त अनुरुप वै सब के सहभागी है से बन्चित करने छै त तैहनङे अधिकार सब के स्पष्ट किटानी कैरके न्यायिक उपचारके बारे मे छलफल करैले।

४. मानव अधिकार के प्रभावकारी उपभोग के लेल सहै ले सकै वला, छोट और प्रभावकारी न्याय प्रदान करै के पद्धति मे जनता के सहज पहुंच दै ले प्रावधान के बारे मे धियान देनाइ। स्थानीय तह मे प्रभावकारी उपचार प्रदान करै के मौलिक हक के पहिचान। उदाहरण के लेल जिल्ला अदालत के अधिकार व्यापक करैत पुनरावेदन अदालत सब से रिट निवेदन

सुनवाइ करै के अधिकार देनाइ (जनङः छुवाछुत या दुर्व्यवहार विरुद्ध के हक, सूचना के हक, गोपनियता के हक)।

५. मानव अधिकार के प्रयोग के लेल प्रहरी प्रशासन और अदालत सब के अतिरिक्त स्थानिय, अर्धन्यायिक निकाय सब के सम्बन्ध मे प्रावधान सब के विषय मे विचार करनाई। उदाहरण के लेल वडा प्रहरी कार्यालय या जन निर्वाचित निकाय सब के छुवाछुत और दुर्व्यवहार, घरेलु हिंसा, दाइजो या कथित डाइन के आरोप के मुद्दा सब मे पैहने सुनवाई करै के अधिकार। तत्काल उपचार प्रदान करै के लेल यी एकटा प्रभावकारी शुरुवात भ्या सकै छै। लेकिन येहेन मुद्दा मे निष्पक्ष आयोग मे सार्वजनिक सुनवाई के अधिकार, निर्दोषिता के अनुमान (Presumption of innocence) और फौज्दारी मुद्दा मे अभियोग लग्लाहा सब के न्यूनतम अधिकार सब (वै सबके प्रतिरक्षाके लेल पर्याप्त समय और सुविधा सब कानुनी प्रतिनिधित्व तक के पहुंच, वै सब के विरुद्ध साक्षी परीक्षण या वै सब के परिक्षण करैले पावैले अधिकार, निःशुल्क दोभासे के सहयोग पावै के अधिकार) परै छै।

६. विगत १० वर्ष के द्वन्द्वकाल लगायत विगत काल मे भेलहा मानव अधिकार के गम्भीर उलङ्घन के जिम्मेवारी सुनिश्चित करै के प्रावधान सब मे ध्यान देनाई। येहेन छलफल सब मे क्षतिपूर्ति या पीडित सब के पुनर्स्थापना के पक्ष सब समावेश भ्या सकै छै। आन्तरिक रुप मे विस्थापित जनता के अधिकार सम्बन्धि प्रश्न सब यै सन्दर्भ मे सम्बोधन कैर सकै छै।

७. अन्तरिम संविधान प्रभावकारी अनुगमन और सु परिवेक्षण मार्फत मानव अधिकार के संरक्षण और प्रबर्द्धन के लेल स्वतन्त्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धि प्रावधान कैर चुकल छै। कनहिक देश सब भिने स्वतन्त्र मानव अधिकार निकाय सब (जनङ गुनासो सुनै वला निकाय) के स्थापना करने छै, जकर जिम्मेवारी जनता के खास समूह बाल-बालिका, असक्त आदमी सब, आदिवासी या जनजाति अल्पसंख्यक सब आदि) के अवस्था के सम्बोधन करनाई चियै। संविधान सभा वेहेन विकल्प सब के खोज कैर सकै छै।

पोष्टा शृङ्खला के विषय मे

संविधान सभा के सदस्यसव या इच्छुक और सैब के संविधान बनाइ के तौर तरिका विषयमे आधारभुत जानकारी देनाई यी किताब श्रृङखला के उद्देश्य चियै । यी प्रकाशनसव संवैधानिक परिणाम के लेल कोनो भि किसिम से पैहने अनुमान करैले, अवधारणा पत्र, प्रस्ताव या मनसाय नै चियै । यी श्रृङखला संयुक्त राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) के "नेपाल मे सहभागीतामुलक संविधान निर्माण के लेल मदैत्त" (एससिविएन) परियोजना के समन्वय मे नेपाली और अन्तरराष्ट्रिय संविधान विद्सब के सभ्किया कोशिस के प्रतिफल चियै ।

यै किताबसव के और निक बनाइले प्रतिकृया या टिप्पणी (आपन आपन बिचार) के लेल विशेष किसिम से आग्रह करल गेल छै । बेसी से बेसी सु- सज्जित जानकारी, प्रतिबद्ध या रचनात्मक छलफल, राय सल्लाह के प्रोत्साहित करैले यी प्रकाशनसब सफल हेनँइ से आपन सोंचल परिणाम (आशातित् उद्देश्य) के प्राप्ति हेतै । पाबलहा टिप्पणी सव के आधार मे यी किताबसब के लबका या थप सँस्करणसब तयार क्याल ज्या सकतै ।

यी श्रृङखला के नेपाल के डिगा (मुल मुल) भाषासब मे उल्था करैके सिलसिला मे निक गुणस्तर कायम रखनाई के साथे ओइ भाषा के बेसी से बेसी लोकके बुझहै के लेल ठिक शब्दाबली प्रयोग करैले अधिक से अधिक प्रयास करल गेलछै ।

शबद सब के उचित या सहि प्रयोग के लेल और और भाषिक समुदायसब के बिच मे भविष्य मे छलफल या बहस हैके आश कैर सकै चियै । संबैधानिक सम्बाद केन्द्र के उद्देश्य वेहने बहससब के कोनो भि किसिम के छहाइर मे नै राखैके, बलकि वै भाषा सबके समावेश करैके यै प्रयासमे समावेशिता या पहौंच के बेसी से बेसी वृद्धि करनाई चियै ।

देश के संविधान बनाइके लेल सान्दर्भिक विषयवस्तु सबके, संवैधानिक संवाद केन्द्र से तैयार करैले लागल श्रृङखलाबद्ध पाठ्य सामग्रीसबके एकटा अंश यी किताब चियै ।

सभासद्सब के साथे साथे यै विषयमे इच्छुक और सर्वसाधारण सैब के मुल संवैधानिक अवधारणा और मुद्दासब मे सहभागी करेनाई यै सिकरीबद्ध प्रकाशन के उद्देश्य चियै । श्रृङखला अन्तरगत के सैब कनकि किताब नेपालमे बोलैवला डिगा भाषासब (नेपाली, थारु, मैथिली, भोजपुरी, मगर, तामाङ्ग, नेवार) या अंग्रेजी भाषा मे उपलब्ध छै । यी किताब के सुनै के लेल (क्यासेट, डिभिडी) सोहो उपलब्ध हैके साथे यै सब के अनलाइनो मे राखल गेल छै ।

पहौनका दाइब यै प्रकाशन श्रृङखला मे रख्लहा विषय वस्तु येनङ छै । राज या धरम, संघिय प्रणाली (प्रगणा), संविधान मे मानव अधिकार, आदिवासी जनजाति के अधिकार, कनहिके जनसंख्यावला के अधिकार, सरकार के प्रणालीसब स्वतन्त्र कचहैरी (न्यायपालिका), स्थानिय स्वशासन, विविधता या सामाजिक समावेशिकरण या सहभागितामुलक संविधान बनाइके तौर तरिका ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र
तेसर तल्ला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, नयाँ वानेश्वर, काठमाडौँ
टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८
ई-मेल : info@ccd.org.np
वेबसाइट : www.ccd.org.np